कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर—चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स — 245622 ई—मेल—dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 2152 चांपा/दिनांक 29/03/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— Diversion of 4-880 ha. of forest land in favor of DB Power Limitrd Proposal for Extension of Boundary wall for Power Plant situated at Village Badadarha regarding;

संदर्भ — अ.प्र.मु.व.सं. /भू—प्रबंध/विद्युत/ का पृ. क./371 दिनांक 25.02.2022

—"—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण में उठाई 07 बिन्दूओं की आपत्तियों का निराकरण कर संबंधित संस्थान द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है, जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	There is no concrete proposal of requision and justification for land requirement	उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा अपने आवेदित प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदित भूमि राजस्व वन भूमि है जो कि उद्योग विभाग के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहित भूमि एवं सस्थान के द्वारा कय किये गये निजी भूमि के साथ लगी हुई एवं बीच में स्थित है जिसमें संस्थान को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनी सीमाआवरण एवं चाहरदीवारी को समानांतर रूप प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि की अति आवश्यकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत न्यूनतम वन क्षेत्र 4.880 हे. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भूमि की आवश्यकता की मांग एवं औचित्य के संबंध में विस्तृत रूप से विवरण पृथक से भाग—1 (Part-1) में प्रस्तुत किया गया है।
2	The area is away from the DB Power Project Site and the land is in three different patches, which needs to be justified by the user agency in the project proposal from the land utilization point of view.	आवेदित क्षेत्र डी.बी. पावर प्रोजेक्ट की साइट से दूर नहीं है अपितु प्लांट की भूमि से लगी हुई एवं बीच—बीच में स्थित है संस्थान को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनी सीमाआवरण एवं चाहरदीवारी को समानांतर रूप प्रदान किया जाना है चूंकि राजस्व वन भूमि खसरा नं 779/1 का क्षेत्र बिखरा

		हुआ है एवं संस्थान की अधिग्रहित एवं निजी भूमि के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित है। खसरा नं. 779के खसरे का बटांकन 779/1 से 779/10 भागों में हुआ है। जिसमें से 779/5 से 779/10 तक कुल 5.00 एकड़ भूमि संस्थान के नाम से दर्ज है एवं आवेदित भूमि जिससे अलग-अलग तीन पेजों में स्थित भूमि के टुकड़ों को प्रत्यावर्तन कराकर बांकी क्षेत्रों को भी समानांतर रूप प्रदान किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव में भूमि उपयोग के दृष्टिकोण से उचित है। प्रत्येक भूखण्ड के संबंध में पृथक से विस्तृत विवरण भाग 1 (Part-1) में प्रस्तुत किया गया है।
3	Name of the signing authority and date of submission has not been mentioned in Part-1.	आवेदित प्रस्ताव के भाग -1 में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम तथा प्रस्ताव जमा करने की तिथि मानवीय त्रुटिवश अंकित नहीं थी जिसे नवीन प्रस्ताव भाग (Part-1) के माध्यम से दुरूस्त कर संलग्न किया गया है। प्रस्ताव जमा करने की तिथि 10.05.2019 है।
4	It is mentioned in the proposal peoceeding of Gram Sabha meeting dated 23-01-2018 that the area is the transit Nistari land. People are living in Rampur Maholla area 779/1 for last 80 years and the land is being used by local communities Therefore. te area is not agreed for diversion in favour of D.B. Power Ltd as recorded in the Gram sabha proceeding in the regard justification needs to be submitted by the user agancy.	ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव प्रमाण पत्र (प्रदर्श-ब)दिनांक 23.01.2018 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि गोचर एवं निस्तारी है जो कि पूर्णतः असत्य एवं मनगढंत है, क्योकि फार्म पी-2, खसरा, पंचशाला खण्ड-1 (भूमि स्वामी का विवरण) के अवलोकन से ज्ञात होता है। खसरा नं. 779/1 शासकीय भूमि (पंतोरा जंगल) या राजस्व वनभूमि मद में दर्ज है एवं खसरा नं. 779/2 शासकीय भूमि (घास) मद में दर्ज है जिस पर ग्रामवासी निस्तार एवं गोचर का कार्य करते हैं। खसरा नं. 779/3 से 779/4 अन्य किसानों के नाम से दर्ज है तथा खसरा नं. 779/5 से 779/10 तक की भूमि संस्थान के नाम से दर्ज है। वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित भूमि पर वन अधिकार प्रमाण पत्र (मान्यता प्रमाण पत्र) के वितरण की जानकारी एवं रहवासियों को पुर्नवास की सुविधा प्रदान करने से है। ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव (प्रदर्श-ब) में यह बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर रामपुर बस्ती है जिस पर ग्रामवासी 80 वर्ष से निवासरत है। जबकि रामपुर बस्ती खसरा नं. 779/2 शासकीय भूमि पर निवासरत है। तत्संबंध में अनुविभागीय स्तरीय समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत

		किया गया है। अनुविभागीय स्तरीय वन समिति के द्वारा अनुशंसा प्रमाण पत्र(प्रदर्श–स) में यह पुष्टि की गई है कि प्रश्नाधीन वन भूमि का कोई भी सदस्य निवासरत नहीं है और न वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है और न ही प्रस्तावित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित राजस्व वन भूमि से ग्रामवासी प्रभावित नही हो रहे हैं।
5	Details of density and ECO class of the area submitted by user agency show that some trees might be there, whose enumeration has not been done. Trees canopy can be observed from the KML file of proposed area In this regard trees enumeration details need to be submitted.	शासन के निर्देशानुसार हरिहर वृक्षारोपण के तहत् संस्थान के द्वारा आसपास की खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 10000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है । संस्थान के द्वारा प्रदूषण मुक्त क्षेत्र निर्माण करने के उद्देश्य से प्लांट की सम्पूर्ण चाहरदीवारी पर पेल्टाफार्म के वृक्ष लगाये गये हैं। साथ ही प्रस्तावित भूमि पर पेल्टाफार्म के वृक्ष लगाये है। वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग 350 वृक्ष हैं जो कि 21 से 30 से.मी. है। भविष्य में प्रस्तावित क्षेत्र पर चाहरदीवारी के निर्माण के पश्चात् भी ग्रीन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।
6	Examination of land identified for raising CA over Google satellite imaginary revealed that one patch of 12.33 ha. over Khasra number 1123/1 in Udauda Village, Dharamjaygarh Forest Division already have healthy vegetation growth and may not be suitable for raising CA State Government .may revisit the area and new area suitable for Plantaion need to be identified and proposed.	कार्यालय वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला रायगढ़ के द्वारा जारी संबंधित प्रकरण के संबंध में पुनः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण कर बिन्दूवार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि मूलतः प्रकरण में संलग्न किया गया है।
7	details of Employement potential in terms of man days of Skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (Direct & Indirect) and temporary (Direct & Indirect) basis have not been provided.	रोजगार क्षमता का विवरण पृथक से पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार,

21.03.22

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल